

Tele: 011-23060231/5216

Air HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM – MMCCCII)

M/s Aisshpra Life Spaces
2nd Floor, Baldev Plaza
Golghar, Gorakhpur-273001

Regd Post

विंग कमांडर

संक्रिया निदेशालय
वायु यातायात सेवाएं
वायु सेना मुख्यालय
नई दिल्ली -110 106

16 Oct 15

ISSUE OF NOC FOR CONSTRUCTION OF BUILDING
AT TAHSIL SADAR GORAKHPUR, UP
BY M/S AISSHPRA LIFE SPACES

1. Reference is made to your application dated 20 Jul 15.
2. Annexed please find an ink signed copy of 'No Objection Certificate' issued vide Gol letter MoD No. Air HQ / S 17726 / 4 / ATS (PC-MCMLX) / Dy No. 802 / F /2015/ D (Air-II) date 16 Oct 15. You may please acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully,

(जे सिंगला)
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक औप्स (वा या से)

Annexure: As stated

No. Air HQ/S. 17726/4/ATS(PC-MCMLX)
Diary No.802/F/2015/D(Air-II)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Defence/Raksha Mantralaya

New Delhi, dated the 16th October, 2015.

To ✓
M/s Aisshpra Life Spaces,
IIInd Floor, Baldev Plaza, Golghar,
Gorakhpur – 273001.

Subject: Issue of 'NOC' from 'Aviation Angle' for construction of building by M/s Aisshpra Life Spaces, Gorakhpur.

Sir,

I am directed to refer to your application, dated 20th July, 2015 on the above subject and to say that after examining the application under Gazette of India SO 84(E) and other relevant orders on the subject, Air HQ has no objection from '**Aviation Angle**' with respect to **IAF airfield Gorakhpur** for construction of **48.80 Meters High Multistoried Residential Building** at Arazi Numbers mentioned in application at Taramgarh road, Tahsil Sadar Gorakhpur (UP) by M/s Aisshpra Life Spaces, Gorakhpur, subject to the following conditions:-

(a) The NOC is from '**Aviation Angle**' with respect to **IAF airfield Gorakhpur** and cannot be treated as a document for claim of title of land on which building is proposed.

(b) No Objection to such construction shall also be obtained separately from any other defence establishment in the vicinity of such construction and any other relevant government authorities.

(c) The vertical extent (highest point) of the buildings at Latitude 26° 42' 20" N and Longitude 83° 24' 27" E shall not **exceed 121.80 Meters** above mean sea level or **48.80 Meters** above ground level **whichever is lower**. No extension or structure permanent or temporary (eg. Antennas, mummies, lift machine room, overhead water tank, cooling towers, sign boards etc.) shall be permitted above the cleared height.

(d) Standard obstruction lightings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO-Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be kept 'ON' at all times. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights 'ON' during power failure. Company shall carry out periodic maintenance of the lights to keep them in serviceable and visible condition.

(e) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the AOC or his nominated representative at **Air Force Station Gorakhpur** on installation.

(f) No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

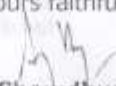
(g) The commencement and completion of works including installation of obstruction lights shall be intimated to **AOC, Air Force Station Gorakhpur and CATCO, HQ CAC, IAF, Bhamrauli, Allahabad, UP.** Failure to render these certificates within the stipulated time may lead to cancellation of NOC.

(h) The validity of this NOC is **five years** from the date of issue. If the construction is not completed within five years of issue or found to be in deviation from original proposal, the NOC shall be deemed null and void. Applicant is responsible to obtain fresh NOC for the proposal.

(i) Required security clearance should be obtained through MHA/IB of the foreign Nationals/Indian representative employed/to be employed by the company in India.

2. You are also requested to obtain 'No Objection' from other concerned Government Organization/Agencies as required.

Yours faithfully,


(A.S. Chowdhury)

Under Secretary to the Government of India.

कार्यालय संयुक्त निदेशक अधिष्ठान, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।
पत्रांक-2015/9049/GKR/Gorakhpur/96/JD दिनांक-अप्रैल ३७, 2015
सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषय:- प्लॉट/खसरा नं०-1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022 mi, 1022/1ka, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/2, 1047, 1133, 1134mi, 1135ka, 1137, 1139, 1140, 1141mi, 1141ka, 1142mi, 1142ka, 1143mi, 1143/1, 1143/2ka, 1144, 1145, 1145/1, 1150/2, 1151, 1154, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1162mi, 1163, 1166, 1167, 1174, 1175, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196ka, 1197, 1198, 1198/2, 1201, 1202, 1203 तालशमगढ़(देवरिया बाईपास रोड) पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या-349/2015 जिला-गोरखपुर में प्रस्तावित मैसस-एस्पा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर के प्रस्तावित भवन की प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के पत्र संख्या-382/मानअनु०/गो०वि०प्रा०/2014-15 दिनांक-27.03.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अमिलेखों का परीक्षण उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर द्वारा किया गया है। आस्था दिनांक-25/04/2015 सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

1-कुल भूखण्ड एरिया-107467.60 वर्ग मीटर

1-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-4173.83 वर्ग मीटर

2-प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-57193.08 वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार विवरण

अ-प्रथम तल आच्छादित एरिया-3615.68 वर्गमीटर

ब-द्वितीय तल से तेरह तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया-4173.83 वर्गमीटर

स-चौदहवें तल का आच्छादित एरिया-3491.44 वर्गमीटर

3-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-12429.33 वर्ग मीटर

4-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

5-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

6-भवन की उचाई-42.08 मीटर है।

भवन का अधिमोग एवं हैजार्ड श्रेणी -प्रश्नगत भवन का अधिमोग एन०बी०सी० की श्रेणी-A4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

डॉचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में-24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वारा की चौड़ाई:-7.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।

क्रमशः-2 पर

3-**सैटबैक**:-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:- (नोट-प्रस्तावित भवन 05 ब्लाकों में प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लाक एक-दूसरे से 13 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है, जो मानकों के अनुसार है)

ए0-अग्रभाग-13.00 मीटर

बी0-पृष्ठभाग-13.00 मीटर

सी0-पार्श्वभाग प्रथम-13.00 मीटर

डी0-पार्श्वभाग द्वितीय-13.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-**निकास मार्ग**:-प्रस्तावित भवन में-02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 2 एवं 1.25 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-**रिफ्यूज एरिया का विवरण**:-एन0बी0सी0 के बलाज-04.12.3 के नोटशीट के अनुसार प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-**भूमिगत टैंक**:-भूमिगत टैंक-प्रत्येक ब्लाक में 75000 लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित किया गया है।

2-**पम्प**:-अण्डर ग्राउंड टैंक के पास मेन पम्प प्रत्येक ब्लाक में 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधानित है।

3-**होजरील**:-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

4-**वेटराइजर**:-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर 02-02 वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम प्रस्तावित है।

5-**प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में** यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में प्रस्तावित है।

6-**हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**:-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक ब्लाक में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

7-**स्वः चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**:-भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है।

8-**स्वः चालित स्प्रिंकलर सिस्टम**:-बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

9-**टेरिस टैंक**:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक-10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-**टेरिस पम्प**:-प्रस्तावित भवन की टेरिस टैंक के पास पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 के अनुसार वांछित नहीं है।

क्रमशः-3 पर

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरूप 740 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कि0ग्रा0 का प्रस्तावित है।

12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम

ए0-फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर प्रस्तावित है।

बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है-भूतल पर।

सी0-सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है। 13-प्रेसराईजेशन प्रणाली:-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार भूतल पर प्राविधानित है।

14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रस्तावित है।

15-पी0ए0सिस्टम:-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।

16-वेसमेन्ट का स्लेप जो सेटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।

17-वेसमेन्ट में 12एअर वेन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्जस्ट एक्च्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।

18-गूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

उतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स एसप्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप द्वारा रामगढ़ ताल देवरिया बाईपास रोड गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संयुक्त निदेशक(अधिष्ठाण)

मुख्यालय फायर सर्विस,

उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक, (अधिष्ठाण)

गोखली गोलखर गोरखपुर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपि-

- 1- मैसर्स-एसप्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 3- मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 4- अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।

कार्यालय संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक- 2015/12245/GKR/Gorakhpur/116/JD

दिनांक-अगस्त, 17 2015

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषय:-

प्लॉट/खसरा नं०-1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022mi, 1022/1ka, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/2, 1047, 1133, 1134mi, 1135mi, 1135ka, 1137, 1139, 1140, 1141mi, 1141ka, 1142mi, 1142ka, 1143mi, 1143/1, 1143/2ka, 1144, 1145, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147, 1046/1, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1151, 1154, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1162mi, 1163, 1166, 1167, 1174, 1175, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196ka, 1197, 1198, 1198/2, 1201, 1202, 1203 तालरामगढ़(देवरिया बाईपास रोड) पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या-938/2015 जिला-गोरखपुर में प्रस्तावित मैसर्स-एस्त्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर के प्रस्तावित भवन की प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

कृपया आपके पत्र पत्र संख्या-583/मानअनु0/गो0वि0प्रा0/2015-16 दिनांक-23.07.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर एवं उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर द्वारा किया गया है। आख्या दिनांक- 11/08/2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

1-कुल भूखण्ड एरिया-107467.60 वर्ग मीटर

1-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-2308.93 वर्ग मीटर (कुल चार ब्लॉकों का स्टील फ्लोर)

2-प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-31789.06 वर्गमीटर (प्रत्येक तलवार विवरण

अ-प्रथम तल आच्छादित एरिया-2013.61 वर्गमीटर(कुल चार ब्लॉकों का)

ब-द्वितीय तल से तेरह तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया-2308.93 वर्गमीटर(कुल चार ब्लॉकों का)

स-चौदहवें तल का आच्छादित एरिया-2068.29 वर्गमीटर(कुल चार ब्लॉकों का)

3-बेसमेंट प्रथम का कवर्ड एरिया-9054.44 वर्गमीटर(कुल चार ब्लॉकों का)

4-बेसमेंट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

5-बेसमेंट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर

6-भवन की ऊँचाई-42.08 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी-A4(Apartment houses) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(सामूहिक आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

डॉचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में-24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वारा की चौड़ाई:-प्रवेश द्वारा 7.00 मीटर के प्रस्तावित है जो मानक के अनुसार है।

कमश:-2 पर

3-सैटबैक:-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:- (नोट-प्रस्तावित भवन 04 ब्लॉकों में प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लॉक एक-दूसरे से 13 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है, जो मानक के अनुसार है)

ए0-अग्रभाग-13.00 मीटर

बी0-पृष्ठभाग-13.00 मीटर

सी0-पार्श्वभाग प्रथम-13.00 मीटर

डी0-पार्श्वभाग द्वितीय-13.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन में-02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 2 एवं 1.25 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:-एन0बी0सी0 के क्लाज-04.12.3 के नोटशीट के अनुसार प्राविधानित है। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2006 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1-भूमिगत टैंक:-भूमिगत टैंक-प्रत्येक ब्लॉक में 75000 लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित किया गया है।

2-पम्प:-अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प प्रत्येक ब्लॉक में 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधानित है।

3-होजरील:-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

4-वेटराइजर:-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर 02-02 वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम प्रस्तावित है।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में प्रस्तावित है।

6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक ब्लॉक में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

7-स्व चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है।

8-स्व चालित रिप्रकलर सिस्टम:-बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक रिप्रकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

9-टेरिस टैंक:-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक-10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प:-प्रस्तावित भवन की टेरिस टैंक के पास पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 के अनुसार वांछित नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरूप 740 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कि0ग्रा0 का प्रस्तावित है।

12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम

ए0-फायर चैकडोर, स्मोक चैकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल बेसमेन्ट पर प्रस्तावित है।

बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है-भूतल पर।

सी0-सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13-प्रेशराइजेशन प्रणाली:-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार भूतल पर प्राविधानित है।

14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रस्तावित है।

15-पी0ए0सिस्टम:-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।

16-प्रत्येक ब्लॉक के चारों तरफ बेसमेन्ट में आने वाले भाग का स्लेप जो सैटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।

17-बेसमेन्ट में 12एअर चैन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्झास्ट एक्व्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।

कमश:-3 पर

18-भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

19-आटोमैटिक फायर डिट्रैक्शन एण्ड सप्रेशन सिस्टम-प्रस्तावित भवन के इलेक्ट्रिक पैनल में आटोमैटिक डिट्रैक्शन एण्ड सप्रेशन सिस्टम मय लीनर हीट सेंसिंग ट्यूब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

उतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स एस्म्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप द्वारा शमगढ़ ताल देवरिया बाईपास रोड गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रयोजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रयोजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


संयुक्त निदेशक,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गोरखपुर, उ.प्र.
३०.१०.२०१६

प्रतिलिपि-

- 1- उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 3- अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
- 4- मैसर्स-एस्म्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ हेतु।